2005:CGHC:3691

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 2616 / 2003

याचिकाकर्ता : किशोर कुमार चंद्रा,
आत्मज स्व. श्री एच.एस. चंद्रा,
आयु 29 वर्ष,
निवासी: संतोषी नगर, रायपुर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादीगण :

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, सहकारिता विभाग, विपणन संघ, सिविल लाइन, रायपुर [छ.ग.]
2. मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा सचिव, म.प्र. सहकारी विपणन संघ, सहकारिता एवं सिविल प्रशासन विभाग, जहांगीराबाद, भोपाल [म.प्र.]
3. प्रबंध निदेशक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जहांगीराबाद, भोपाल [म.प्र.]
4. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर [छ.ग.]
5. महाप्रबंधक (स्थापना), म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, जहांगीराबाद, भोपाल [म.प्र.]।
6. महाप्रबंधक (स्थापना), छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ, सिविल लाइन, रायपुर [छ.ग.]
7. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के निकट, रायपुर [छ.ग.]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत रिट याचिका

2005:CGHC:3691

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 2616/2003

किशोर कुमार चंद्रा

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक: 20 दिसंबर, 2005)

2005:CGHC:3691

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 2616/2003

किशोर कुमार चंद्रा

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

श्री जितेंद्र नाथ नंदे , याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता

श्री ए.एस. कछवाहा, छत्तीसगढ़ राज्य हेतु उप शासकीय अधिवक्ता

श्री घनश्याम पटेल, प्रतिवादी क्रमांक 3 और 5 हेतु अधिवक्ता

डॉ. एन.के. शुक्ला वरिष्ठ अधिवक्ता, सह श्री दिलीप दुबे, प्रतिवादी क्रमांक 4 एवं 6 हेतु

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक: 20 दिसंबर, 2005)

माननीय न्यायमूर्ति श्री फखरुद्दीन के अनुसार

सुना गया ।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत प्रस्तुत इस याचिका में, याचिकाकर्ता ने अपने पिता की मृत्यु दिनांक 14–12–2000 के परिणामस्वरूप अनुकंपा नियुक्ति की मांग की है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि उनके पिता म.प्र. / छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ के जिला कार्यालय, धमतरी में लेखा अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। यह भी कथन किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय, कर्मचारियों से सेवा आवंटन के लिए विकल्प मांगे गए थे, जिसमें

याचिकाकर्ता के पिता ने मध्य प्रदेश राज्य के लिए विकल्प चुना और निर्धारित प्रारूप में अपना विकल्प प्रस्तुत किया, किंतु उनकी मृत्यु तक उन्हें कोई आवंटन आदेश प्राप्त नहीं हुआ। याचिकाकर्ता एक सुशिक्षित और योग्य व्यक्ति है, जिसने वर्ष 1997 में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से वाणिज्य स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है और छत्तीसगढ़ वाणिज्य मंडल, रायपुर से लेखा – कर्म का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया था जिसका विवरण (अनुलग्नक पी / 4) में दिया गया है । इसके पश्चात, दिनांक 27–07–2001 के पत्र (अनुलग्नक – पी / 5) के माध्यम से म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल के महाप्रबंधक ने याचिकाकर्ता से म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल में सेवा देने की इच्छा पूछी। याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक–पी/ 6 के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य में सेवा देने की सहमति दी। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि इसके पश्चात, दिनांक 24–09–2001 के पत्र के माध्यम से म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ के सचिव ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उनके पिता आवंटन आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि उनकी मृत्यु दिनांक 14–12–2000 को छत्तीसगढ़ विपणन संघ की सेवा में हुई थी, अतः उनकी सेवाएँ छत्तीसगढ़ विपणन संघ में मानी जाएँगी। उक्त पत्र प्राप्त होने के पश्चात, याचिकाकर्ता ने दिनांक 04–10–2001 को छत्तीसगढ़ विपणन संघ के समक्ष (अनुलग्नक पी/8 के अनुसार) सभी उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया' तथा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने का निवेदन किया | यह भी कथन किया गया कि उप रजिस्ट्रार ने दिनांक 10–01–2002 के पत्र (अनुलग्नक – पी/9) के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के सचिव को याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधानों के संबंध में लिखा। उक्त पत्र में उप रजिस्ट्रार ने स्पष्ट किया कि निदेशक मंडल याचिकाकर्ता को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु कदम उठाने में सक्षम है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि इसके पश्चात, याचिकाकर्ता और उनकी माता ने बार–बार प्राधिकारियों के समक्ष अनुलग्नक–पी/10, 10 ए, 10 बी, और 10 सी के द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निवेदन किया, कि उन्हें अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के पश्चात उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, किंतु प्राधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

4. छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ ने याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति उठाई और यह व्यक्त किया कि याचिकाकर्ता के पिता ने अपनी सेवाओं के मध्य प्रदेश सहकारी विपणन संघ मर्यादित में आवंटन हेतु विकल्प प्रस्तुत किया था, जिसे दिनांक 13–12–2000 के आदेश के माध्यम से स्वीकार किया गया, और इसलिए उनके पिता को मध्य प्रदेश सहकारी विपणन संघ का कर्मचारी माना जाएगा। अतः मध्य प्रदेश सहकारी विपणन संघ को नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर नियमों के अनुसार दी जानी चाहिए, न कि छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ द्वारा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मध्य प्रदेश सहकारी विपणन संघ ने अपने जवाब में यह व्यक्त किया कि चूंकि याचिकाकर्ता के पिता छत्तीसगढ़ राज्य में लेखा अधिकारी के रूप में कार्यरत थे और छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ के अंतर्गत धमतरी में पदस्त थे, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ से संपर्क करने का निर्देश दिया है। यह कथन किया गया कि मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय मध्य प्रदेश सहकारी विपणन संघ पर बाध्यकारी है, और इसलिए याचिकाकर्ता, जिसने पहले छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ के समक्ष आवेदन किया था, को उक्त प्राधिकारी से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। यह भी कथन किया गया कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा अनुमोदित कर्मचारी सेवा नियमों (अनुलग्नक आर / 3(1) के अनुसार, जो मध्य प्रदेश सहकारी विपणन संघ के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करते हैं, अनुकंपा नियुक्ति केवल रिक्त नियमित पदों पर प्रदान की जा सकती है और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नहीं की जा सकती। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता सामान्य श्रेणी से संबंधित है और उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार वह फील्ड असिस्टेंट के पद के लिए योग्य है, किंतु वर्तमान में मध्य

प्रदेश सहकारी विपणन संघ में सामान्य श्रेणी के लिए फील्ड असिस्टेंट का कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं है।

6. अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता के पिता, स्व. श्री एच. एस. चंद्रा, राज्य सहकारी विपणन संघ के कर्मचारी थे। वे धमतरी में लेखा अधिकारी के रूप में पर पदस्त थे। राज्य के पुनर्गठन और गठन के समय, उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य के लिए विकल्प चुना। आवंटन आदेश दिनांक 13–12–2000 को पारित किया गया और उन्हें 20–12–2000 से पहले या इस दिनांक तक पदग्रहण का निर्देश दिया गया। उक्त आवंटन आदेश प्राप्त होने से पहले ही याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु दिनांक 14–12–2000 को हो गई। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का दृष्टिकोण यह है कि याचिकाकर्ता के पिता को कार्यमुक्त नहीं किया गया और उनकी मृत्यु कार्यमुक्ति से पहले हुई, इसलिए याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति का मामला छत्तीसगढ़ राज्य विपणन सहकारी संघ द्वारा विचार किया जाना चाहिए । यह पत्र याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 14–02–2003 के पत्र (अनुलग्नक – पी/12) के माध्यम से भेजा गया। मध्य प्रदेश राज्य विपणन सहकारी संघ ने यह जवाब दिया कि उन्होंने याचिकाकर्ता को समायोजित करने का प्रयास किया, किंतु पद उपलब्ध नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ ने इस मामले पर विचार नहीं किया और इसके बजाय प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि याचिकाकर्ता के पिता छत्तीसगढ़ राज्य विपणन सहकारी संघ के कर्मचारी नहीं थे और उन्हें मध्य प्रदेश राज्य विपणन सहकारी संघ का कर्मचारी माना जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता के पिता को आदेश प्राप्त नहीं हुआ था और न ही उन्हें कार्यमुक्त किया गया था। इसके अलावा, मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को सभी बकाया राशि छत्तीसगढ़ राज्य विपणन सहकारी संघ द्वारा भुगतान की गई है। याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता पर दोनों फेडरेशनों द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। यह भी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य विपणन सहकारी संघ ने इस मामले

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को संदर्भित किया, और संयुक्त रजिस्ट्रार ने दिनांक 10–01–2002 के पत्र (अनुलग्नक – पी / 9) के अनुसार यह राय दी है कि नियमों के तहत निदेशक मंडल इस मामले में आगे बढ़ने के लिए सक्षम है। मध्य प्रदेश राज्य ने अनुलग्नक – पी/12 दिनांक 14–02–2003 के अनुसार यह राय दी है कि यद्यपि स्व. श्री एच. एस. चंद्रा की सेवाएँ छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में आवंटित की गई थीं, किंतु उनकी कार्यमुक्ति से पहले उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति का मामला छत्तीसगढ़ राज्य विपणन सहकारी संघ द्वारा विचार किया जाना चाहिए। अभिलेख से प्रकट होने वाले तथ्यों और परिस्थितियों के तहत इस न्यायालय की राय में, छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ द्वारा उठाई गई आपत्ति कि छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, में कोई बल नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. यह उल्लेख करना उचित है कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है, बल्कि यह केवल योग्यता के आधार पर खुले आवेदन के आमंत्रण की आवश्यकता का अपवाद है। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित कर्मचारी की मृत्यु पर उसका परिवार आजीविका के साधनों से वंचित न हो। इसका उद्देश्य परिवार को अचानक वित्तीय संकट से उबारना है। दावों को उचित और स्वीकार्य माना जाता है, जो उस कर्मचारी के परिवार में अचानक उत्पन्न होने वाले संकट के आधार पर होता है, जिसने राज्य की सेवा की हो और सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई हो।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ में सेवा के दौरान हुई, यद्यपि उनकी सेवाएँ छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश राज्य में आवंटित संसूचित की गई थीं, किंतु आवंटन आदेश न तो संसूचित किया गया और न ही इसे प्रभावी किया पदभार ग्रहण करने की गया, और आदेश में स्वयं 20–12–2000 तक पदभार ग्रहण करने की अवधि

निर्धारित थी, जब तक उन्हें विधिवत कार्यमुक्त नहीं किया गया, वे अपनी मृत्यु तक छत्तीसगढ़ राज्य की सूची में बने रहे। इसके अतिरिक्त, मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को बकाया राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया गया है। यह भी तथ्य है कि म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ के सचिव ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उनके पिता आवंटन आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश में पदभार ग्रहण नहीं कर सके और उनकी मृत्यु 14–12–2000 को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की सेवा में हुई, इसलिए उनका मामला छत्तीसगढ़ विपणन संघ द्वारा विचार किया जाएगा। अतः याचिकाकर्ता अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र है। प्रतिवादी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को निर्देशित किया जाता है कि वह यथाशीघ्र प्राथमिकता से इस आदेश की प्रति प्राप्त होने / प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर इस पर विचार कर उचित आदेश पारित करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, वाद व्यय, सहित याचिका स्वीकार की जाती है। अधिवक्ता शुल्क रु. 2,000/–, यदि प्रमाणित हो तो ।

सही/
फखरुद्दीन
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Naveen Nirala, Advocate